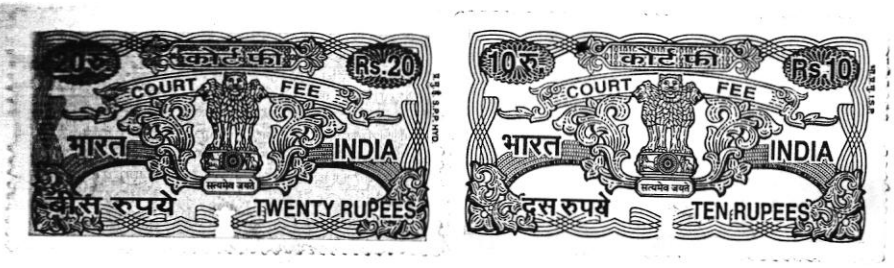

।। श्री ।।

निगरानी प्रकरण क्र. : ..../2018
प्रस्तुति दिनांक : ..../03/2018

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/1688

1. **नवरतन बिल्डटेक प्रायवेट लिमिटेड**
तर्फे अधिकृत प्रतिनिधि–श्री बलराम माथुर
पता–58, प्रथम मंजिल, आर्बिट मॉल,
ए.बी.रोड, इन्दौर (म.प्र.)

प्रार्थी

वि.

1. **श्रद्धा बिल्डटेक प्रायवेट लिमिटेड**
तर्फे अधिकृत प्रतिनिधि–श्री दुष्यंत पहारे
पता–58, प्रथम मंजिल, आर्बिट मॉल,
ए.बी.रोड, इन्दौर (म.प्र.)

2. **म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय,**
प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
इन्दौर (म.प्र.)

..........प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा अपील प्रकरण कमांक 0382/अपील/2017–18 में दिनांक 12/02/2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निग0/इंदौर/भू0रा0/2018/1688

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 दिवेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया यह निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 0382/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 12-2-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । चूंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण को ग्राह्य किया जाकर अभिलेख बुलाने के आदेश दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य प्रथम-दृष्टया प्रकरण में नहीं है । परंतु जहां तक स्थगन का प्रश्न है प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेशों का क्रियान्वयन आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण अपर आयुक्त द्वारा किये जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो तक स्थगित किया जाता है । अपर आयुक्त को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण गुणदोषों पर यथाशीघ्र करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । अध्यक्ष	